मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

/ /आदेश/ /

भोपाल, दिनांक 16 / 9 / 2020

क्रमांक /1876/1039/38–2/2020– म.प्र. उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा योजना क्रमांक 7464 में बजट आवंटन म.प्र. शासन द्वारा विभिन्न मदो में किया जाता है। परियोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में महाविद्यालयों में विभिन्न कार्य जैसे– अकादमिक एक्सीलेंस, रेमेडियल क्लास, एफएमएस का क्रय, परियोजना अंतर्गत इंटरनल ऑडिट, स्टूडेंट ट्रेकिंग, सेनेटरी नैपकीन इंसीलेटर एंड सेनेटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन, सेनेटाइजर, वाटर कूलर आदि जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा जारी की गई है। कई महाविद्यालयों के उक्त परियोजना में बजट आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है।

उक्त योजना में बजट आवंटन प्राप्त होने तक कृपया उक्त समस्त भुगतान उनके महाविद्यालय की जनभागीदारी मद से करें जिसकी प्रतिपूर्ति म.प्र. उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना–7464 से आवंटन प्राप्त होने पर की जावें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

16-9-2020
अवर सचिव
म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय भोपाल

पृ.क्रमांक /1877/1039/38–2/2020
भोपाल, दिनांक 16/ 9 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त संबंध में आवश्यक स्वीकृति/निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त/परियोजना संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
6. समस्त संबंधित कोषालय/ उप कोषालय अधिकारी म.प्र.।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
8. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय की ओर सूचनाथ एवं पालनार्थ।

16-9-2020
अवर सचिव
म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय भोपाल